बिल का सारांश

असम ग्रैच्युटी (संशोधन) बिल, 2023

- असम ग्रैच्युटी (संशोधन) बिल, 2023 को 11 सितंबर, 2023 को असम विधानसभा में पेश किया गया। बिल असम ग्रैच्युटी एक्ट, 1992 में संशोधन करता है। एक्ट चाय कारखानों और चाय बागानों के कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी फंड योजनाओं का प्रावधान करता है। ग्रैच्युटी किसी भी ऐसे कर्मचारी को देय होती है जिसने कम से कम पांच वर्षों तक निरंतर सेवा प्रदान की हो।

- **ग्रैच्युटी की राशि के कैलकुलेशन के लिए सेवा की अवधि**: एक्ट में प्रावधान है कि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह महीने से अधिक के हिस्से के लिए 15 दिनों के वेतन की दर से ग्रैच्युटी देय है। यह सेवा के एक पूर्ण वर्ष को निरंतर सेवा के एक वर्ष के रूप में परिभाषित करता है। बिल सेवा के एक पूर्ण वर्ष को एक वर्ष में कम से कम 240 दिनों की निरंतर सेवा के रूप में पुनः परिभाषित करता है।

- **ग्रैच्युटी के भुगतान के लिए दैनिक वेतन का कैलकुलेशन**: एक्ट ग्रैच्युटी की राशि को निर्धारित करने के लिए कई निर्दिष्ट तरीकों से दैनिक वेतन को कैलकुलेट करता है, जोकि इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारियों को कैसे भुगतान किया जाता है। पीस-रेटेड कर्मचारियों के मामले में, सेवा के अंतिम तीन महीने में प्राप्त कुल वेतन के औसत के आधार पर दैनिक वेतन की गणना की जाती है। मंथली-रेटेड कर्मचारियों के मामले में मासिक वेतन दर को 26 से विभाजित किया जाता है, और दैनिक वेतन को उसके बराबर माना जाता है। बिल इन प्रावधानों को हटाता है।

- **मौसमी और दैनिक मजदूरों के लिए ग्रैच्युटी**: एक्ट ग्रैच्युटी को किसी कर्मचारी के एग्जिट (काम छोड़ने) पर देय वेतन के रूप में परिभाषित करता है, मौसमी और दैनिक मजदूरों को छोड़कर, जिनकी ग्रैच्युटी को पिछले तीन महीनों के वेतन के औसत के रूप में परिभाषित किया गया है। बिल मौसमी और दैनिक मजदूरों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान को हटाता देता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

प्रियदर्शिनी जैन
priyadarshini@prsindia.org

13 सितंबर, 2023